E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2023; 5(2): 182-190
Received: 05-10-2023
Accepted: 08-11-2023

लता रानी चौहान
असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एस. अनंगपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आलमपुर, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत

Corresponding Author:
लता रानी चौहान
असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एस. अनंगपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आलमपुर, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत

देवदासी प्रथा तथा उसका अंत करने वाली डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का अध्ययन

लता रानी चौहान

सारांश
भारतीय महिलाओं का नाम नई-नई उपलब्धियों के लिए सदैव अग्रणीय रहा है। आधुनिक भारत की महिलाएं देश विदेश में अपने परिश्रम, हुनर से सफलता का परचंम लहरा रही हैं। लेकिन इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कई ऐसी भी महिलाएं रहीं, जिन्होंने बीते दौर में भी कुछ ऐसा कर दिखाया, जो इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गया। देश की आजादी से पहले राजशाही सत्ता संभालने वाली राजकुमारी और रानियों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला योद्धाओं तक, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल होने वाली महिलाओं से लेकर, आजाद भारत की राजनीति का हिस्सा बनने वाली महिलाओं ने नारी शक्ति की मिसाल पेश की है। इतिहास के पन्नों से आज हम ऐसी ही एक नारी शक्ति की चर्चा करने जा रहे है, जिनके नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं, जिन्होंने महिला विरोधी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इस महिला का नाम मुथुलक्ष्मी रेड्डी है, जिन्होंने देश में व्याप्त देवदासी प्रथा का अंत किया था।

कूटशब्द: देवदासी, महिला, कुरीति, नृत्य तथा संगीत, भारतीय समाज

प्रस्तावना
"आप किसी देश की महिलाओं की स्थिति देखकर उसकी हालत बता सकते हैं।"
यह महिलाओं पर जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध उद्धरण है । महिलाओं की स्थिति किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। हमारे शास्त्रों में महिलाओं को आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति हमारे देश में सदा से ही बहुत अच्छी नहीं रही, यदि प्राचीन काल को दरकिनार कर दिया जाए तो मध्यकाल और आधुनिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही गंभीर स्थिति में रही है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का सामना उन्हें सदा ही करते रहना पड़ा है। इन्हीं कुरीतियों में से एक भयंकर कुरीति है देवदासी प्रथा, जो हमारे भारतीय समाज में बहुतायात में व्याप्त रही है यह ऐसी भयंकर प्रथा है जिसे समाज का कैंसर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्यकालीन भारतीय सभ्यता में महिलाओं को अधिकारों और समानता से वंचित रखा गया था। उनके साथ पुरुषों के मुकाबले बुरा और असमान व्यवहार किया गया है।
सदियों से हिन्दू मंदिर, जो कि ईश्वर के निवास स्थान बताए जाते हैं, पुजारियों और ऊँची जातियों के 'तीर्थ यात्रियों' द्वारा असहाय महिलाओं के यौन शोषण के केन्द्र रहे हैं मंदिरों को समर्पित देवदासियों का महिमामंडन, भले ही ईश्वर की सेविका के रूप में किया जाता रहा हो, परंतु असल में वे वेश्याएं हुआ करतीं थीं।

देश के कई भागों में हिंदू मंदिरों में देवदासियां थीं और उन्हें मंदिरों का अभिन्न अंग माना जाता था। वे, दरअसल, इसलिए रखी जातीं थीं ताकि वे मंदिरों के पंडे-पुजारियों और उन रईसों, जो वहां तीर्थयात्रा के बहाने आते थे, की शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकें। ये महिलाएं लोगों को मंदिरों की ओर आकर्षित करतीं थीं और मंदिरों की लोकप्रियता बढ़ाती थीं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और यहां तक कि तमिलनाडु के मंदिरों में भी देवदासियां होती थीं। शास्त्रों की माने तो यह भी कहा जाता है "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं परंतु आधुनिक काल में हम इन मंत्रों का महत्व कहीं भूल चुके हैं। यह शब्द कुछ विशिष्ट शब्द बनकर ही रह गए बात-बात पर नारी का अपमान करना पुरुष अपना अधिकार समझता है। घृणित अपशब्दों का प्रयोग कर नारी को ना सिर्फ अपमानित करता है अपितु उसके हृदय को भी आहत करता है। सदैव इस अहम में जीता है कि नारी का स्थान इस संसार में सदैव निकृष्ट हैं, जबकि सत्य से वह स्वयं परिचित है। वैदिक काल में, भारत में महिलाओं का बहुत सम्मानपूर्ण स्थान था। वे देवियों की तरह पूजी जाती थीं। किंतु, बाद में समय ऐसा आया जब चीजें बदल गईं। हमारा समाज पुरुष-प्रधान बन गया। महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था, जिसकी वे पात्र थीं। उन्हें बहुत सी जिम्मेदारियाँ दी जाती थीं किंतु सम्मान बिलकुल नहीं। उन्हें स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति नहीं थी। सामान्यतया, उन्हें अपने विचारों को साझा करने या अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। हमारे भारतीय समाज में नारी की स्थिति में विरोधाभास है। इसका कारण है की एक तरफ नारी को पूजा जाता है और उन्हें नारी शक्ति कहकर उनका सम्मान किया जाता है। तो दूसरी तरफ नारी को एक बेचारी के रूप में देखा जाता है।

महिलाओं की समस्याएँ

भारत में महिलाएँ सैकड़ों वर्षों से शोषित होती रही हैं। बालविवाह, मादा भ्रूण-हत्या, दहेज-प्रथा, सती-प्रथा, मंदिरों में दासी-प्रथा आदि ने उनकी स्थिति को काफी बदतर बनाया। एक विधवा को समाज में सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं थी। एक स्त्री को उसके परिवार की इच्छाओं से परे जाने का अधिकार नहीं था। इस देश में जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वही दूसरी ओर उन्हें कमज़ोर भी समझा जाता है। नारियों के साथ समाज में कई लोगो ने अपने गलत दृष्टिकोण के कारण, दुर्व्यवहार भी किया। आज भी कई घरो में लड़के को वंश का चिराग माना जाता है और लड़की को बोझ माना जाता है। प्राचीन समय में लोग समझते थे, की लड़की तो विवाह करके चली जायेगी और लड़के खानदान का नाम रोशन करेंगे और वंश को आगे बढ़ाएंगे। नारी को पराया धन समझा जाता है। लड़का-लड़की में भेद भाव भी किया जाता है। लड़को को हर मामले में छूट है और शिक्षा पर उनका ज़्यादा अधिकार होता है। लड़कियों को घर का काम काज करना सिखाया जाता है। तब लोगो की सोच थी कि लड़कियां पढ़ लिखकर क्या करेगी, उन्हें तो शादी करके रसोई संभालना है।

देवदासी कुप्रथा

इतिहासकारों का मानना है कि 'देवदासी प्रथा' संभवत: छठी सदी में शुरू हुई थी। मान्यता है कि अधिकांश पुराण भी इसी काल में लिखे गए। देवदासियों का प्रचलन दक्षिण भारतीय मंदिरों में अधिक है। देवदासी का अर्थ होता है 'सर्वेंट ऑफ गॉड', यानी देव की दासी या पत्नी।

एक अन्य मान्यता के अनुसार देवदासी कुप्रथा का आरंभ आर्यों के प्रवेश से पूर्व माना गया है। तीसरी शताब्दी में प्रारम्भ इस प्रथा का मूल उद्देश्य धार्मिक था। चोल तथा पल्लव राजाओं के समय देवदासियां संगीत, नृत्य तथा धर्म की रक्षा करती थी। 11वीं शताब्दी में तंजोर में राजेश्वर मंदिर में 400 देवदासियां थीं। सोमनाथ मंदिर में 500 देवदासियां थी। 1930 तक तिरुपति, नाजागुड में देवदासी प्रथा थी।

देवदासियों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली रंगभोग और दूसरी अंग भोग। दूसरी श्रेणी की देवदासियां मंदिर से बाहर नहीं जाती थीं। येल्लमा देवी को कन्या को समर्पित करने की रस्म शादी की तरह ही थी। कन्या की उम्र 5-10 वर्ष की होती है। उस समय कन्या का नग्न जुलूस मन्दिर तक लाया जाता था। उसको फिर देवदासी के रुप में दीक्षित किया जाता है। समर्पण के बाद ये देवदासियां मंदिर और पुजारियों की सम्पत्ति हो जाती है। देवदासियां मंदिरों की देख-रेख, पूजा-पाठ के लिए सामग्री-संयोजन, मंदिरों में नृत्य आदि के अलावा प्रमुख पुजारी, सहायक पुजारियों, प्रभावशाली अधिकारियों, सामंतों एवं कुलीन अभ्यागतों के साथ सेक्स करती थीं, पर उनका दर्जा वेश्याओं वाला नहीं था। यह कुप्रथा भारत में आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली, उस्मानाबाद, बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्ग आदि में जारी है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के सौदती स्थित येल्लमा देवी के मंदिर में हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन किशोरियों को देवदासियां बनाया जाता है।

कालिदास के 'मेघदूतम्' में मंदिरों में नृत्य करने वाली आजीवन कुंआरी कन्याओं का वर्णन मिलता है, जो

संभवत: देवदासियां ही रही होंगी। प्रख्यात लेखक दुबोइस ने अपनी पुस्तक 'हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज़' में लिखा है कि प्रत्येक देवदासी को देवालय में नाचना-गाना पड़ता था। साथ ही, मंदिरों में आने वाले खास मेहमानों के साथ शयन करना पड़ता था। इसके बदले में उन्हें अनाज या धनराशि दी जाती थी।

ये 'देवदासी' प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में खास कर दक्षिण भारत में महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला गया। जबकि धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है । सामाजिक-पारिवारिक दबाव के चलते ये महिलाएं इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हुई। देवदासी प्रथा के अंतर्गत कोई भी महिला धार्मिक स्थल में खुद को समर्पित करके देवता की सेवा करती थीं। देवता को खुश करने के लिए मंदिरों में नाचती थीं। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ धर्म स्थल के पुजारियों ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए, कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। धीरे-धीरे यह उनका अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकार्यता भी मिल गई। उसके बाद राजाओं ने अपने महलों में देवदासियां रखने का चलन शुरू किया। मुगलकाल में, जबकि राजाओं ने महसूस किया कि इतनी संख्या में देवदासियों का पालन-पोषण करना उनके वश में नहीं है, तो देवदासियां सार्वजनिक संपत्ति बन गइं। कर्नाटक के 10 और आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में यह प्रथा अब भी बदस्तूर जारी है। देवदासी प्रथा को लेकर कई गैर-सरकारी संगठन अपना विरोध दर्ज कराते रहे। पहले समाज में इनका उच्च स्थान प्राप्त होता था,वे समाज में पूजनीय होती थीं बाद में हालात बदतर हो गये। इन्हें मनोरंजन की एक वस्तु समझा जाने लगा। देवदासियां परंपरागत रूप से वे ब्रह्मचारी होती हैं, पर अब उन्हे पुरुषों से संभोग का अधिकार भी रहता है। यह एक अनुचित और गलत सामाजिक प्रथा है। इसका प्रचलन दक्षिण भारत में प्रधान रूप से था। बीसवीं सदी में देवदासियों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। अँग्रेज़ो ने तथा समाज सुधारकों ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की तो लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए शायद आर्य भूमि भारत में हुए अनेक विद्वान एवं बुद्धिजीवी जातिवाद के कट्टर विरोधी रहे है, जिनमे स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय ,डॉ आंबेडकर जैसे महान समाजवादी भी शामिल हैं। भारत को अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आगे आयी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी आज जानते हैं उनके बारे में।

मुथुलक्ष्मी रेड्डी - भारत की पहली महिला विधायक (1927)-

मुथुलक्ष्मी रेड्डी के नाम कई उपलब्धियां हैं। मुथुलक्ष्मी रेड्डी को 'कई पहलें करने वाली' महिला कहा जाता है. देश की पहली महिला विधायक के रूप में भी याद किया जाता है। वह पहली हाउस सर्जन, भारत की पहली महिला विधायक और विधान परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थीं. मद्रास विधान परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष का गौरव भी मुथुलक्ष्मी रेड्डी के नाम है।

मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जीवन परिचय

मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 को मद्रास(ब्रिटिश भारत) में तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में हुआ था। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज में प्राध्यापक थे और उनकी मां चंद्रामाई देवदासी समुदाय से थीं।

मुथुलक्ष्मी की शिक्षा

बचपन से ही पढ़ाई में होनहार मुथुलक्ष्मी की पढ़ाई घर पर ही हुई। मैट्रिक तक उनके पिता और कुछ शिक्षकों ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया और वो परीक्षा में टॉपर भी रहीं। हालांकि, लड़की होने के कारण महाराजा हाई स्कूल ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया। समाज के रूढ़िवादी तबके ने उन्हें स्कूल में पढ़ाने को लेकर बहुत हंगामा किया. महिलाओं के अधिकारों के लिए ताउम्र संघर्ष करने वाली पहली ऐसी महिला थीं,पढ़ाई में उनकी रुचि को देखते हुए पुडुकोट्टई के मार्तंड भैरव थोंडामन राजा मुथुलक्ष्मी को वजीफ़ा दिलाकर हाई स्कूल में दाखिला दिलाया. वो उस समय अपने स्कूल में अकेली लड़की थीं। जिन्होंने लड़कों के स्कूल में दाखिला लिया था। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी को देश की पहली महिला विधायक के रूप में याद किया जाता है। मुथुलक्ष्मी लड़कों के स्कूल में दाखिला लेने वालीं देश की पहली महिला भी थीं।मुथुलक्ष्मी ने निडरता से सबका सामना करते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखी। वह मद्रास मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की पहली भारतीय लड़की बनीं। कॉलेज में सर्जरी की टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट बनने की उपलब्धि भी हासिल की।

मुथुलक्ष्मी जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़तीं रहीं और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने बढ़-चढ़कर सहयोग दिया। 1956 में उन्हें समाज के लिए किये गए अपने कार्यों के लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।साल 1968 में 81 वर्ष की आयु में डॉक्टर रेड्डी ने आखिरी सांस ली।

मुथुलक्ष्मी रेड्डी का करियर

मुथुलक्ष्मी पुरुषों के कॉलेज में दाखिला लेने और मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाली पहली महिला थी। मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उनकी दोस्ती एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू से हुई, जिनका नाम भारतीय इतिहास में दर्ज है। वह मद्रास के सरकारी मातृत्व और नेत्र अस्पताल की पहली महिला हाउस सर्जन भी बनी। वर्ष 1918 में, उन्होंने "महिला भारतीय संघ" की स्थापना में मदद की थी। मुथु को साल 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से देश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव भी हासिल हुआ। एक विधायक के रूप में उनकी पुस्तक माई एक्सपीरियंस उनके द्वारा मद्रास विधानमंडल में लिए गए सामाजिक सुधारों के संबंध में उनकी पहल को याद करती है। 1935 के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए एक अस्पताल शुरू करने की इच्छा जताई। 1952 में पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अडयार कैंसर संस्थान की नींव रखी गई थी। 18 जून 1954 को अस्पताल में काम शुरू करने वाला यह अस्पताल भारत में अपनी तरह का दूसरा था। यह एक वर्ष में लगभग 80,000 कैंसर रोगियों का इलाज करता है।

मुथुलक्ष्मी की शादी और पारिवारिक जीवन (शादी में रखी शर्त)

साल 1914 में डॉक्टर टी सुन्दर रेड्डी से मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने शादी की। शादी के लिए उन्होंने पति के सामने शर्त रखी कि डाॅ टी सुंदर रेड्डी उनकी सामाजिक गतिविधियों और किसी जरूरतमंद की चिकित्सकीय सहायता करने के मामले में दखल नहीं देंगे। मुथुलक्ष्मी का चयन इंग्लैंड जाने के लिए भी हुआ था। लेकिन परिवार ने उन्हें विदेश जाने से मना कर दिया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री पानागल राजा ने सरकार को मुथुलक्ष्मी को एक साल की वित्तीय सहायता देने का भी निर्देश दिया था। मुथुलक्ष्मी रेड्डी मद्रास मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में पहली भारतीय लड़की थीं. उन्होंने कॉलेज में सर्जरी में टॉप किया और गोल्ड मेडल जीता था.

डॉक्टर वी सांता अपनी किताब 'मुथुलक्ष्मी रेड्डी- ए लेजेंड अंटू यॉरसेल्फ' कहती हैं कि वो सिर्फ़ कई पहलें करने वालीं महिला ही नहीं थीं बल्कि उन्होंने महिलाओं की मुक्ति और सशक्तीकरण के लिए लड़ाई लड़ी।

मुथुलक्ष्मी ने पाया कि महिलाओं के उत्थान के लिए सिर्फ़ स्वास्थ्य के स्तर पर काम करना काफ़ी नहीं था। इसलिए वो एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में महिलाओं के आंदोलन में कूद गईं। उन्हें 1926 में महिला भारतीय संघ (डब्लयूआईए) द्वारा मद्रास विधान परिषद के लिए नामांकित किया गया था। वो 1926-30 तक परिषद में रहीं। शुरुआत में वो परिषद में सेवाएं देने के लिए हिचकिचा रही थीं। उन्हें डर था कि कहीं उनका चिकित्सा से जुड़ा काम प्रभावित ना हो जाए। हालांकि, उन्हें लगता था कि महिलाओं को अपनी घर निर्माण की क्षमता को राष्ट्र निर्माण में भी इस्तेमाल करना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ कुरीतियों का अंत महत्वपूर्ण क़ानूनों में योगदान

मुथुलक्ष्मी ने बाल विवाह रोकथाम क़ानून, मंदिरों से देवदासी प्रथा ख़त्म करने, वेश्यालय बंद करने और महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए क़ानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस दौर में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी बड़ी हो रही थीं, उस समय बाल विवाह का चलन आम था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और शादी के लिए तय उम्र को बढ़ाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने बच्चियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। परिषद में विवाह के लिए लड़कियों की सहमति की उम्र को बढ़ाकर 14 करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने कहा था, "सति प्रथा में कुछ ही देर की पीड़ा होती है जबकि लड़की के बाल विवाह की प्रथा में उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बाल पत्नी, बाल मां और बाल विधवा के तौर पर ज़िंदगी भर की पीड़ा मिलती है।" उन्होंने अपनी किताब "माय एक्सपीरियेंस एज़ लेजिस्लेचर" में इसका ज़िक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि जब उनका विधेयक बाल विवाह रोकथाम क़ानून स्थानीय प्रेस में प्रकाशित हुआ तो कट्टरपंथियों ने खुली बैठकों और प्रेस के ज़रिए उन पर हमला बोला। इसमें यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी शामिल थे।

कैंसर इंस्टिट्यूट की शुरुआत की

मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की छोटी बहन की मौत कैंसर से होने के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसके बाद उन्होंने 1954 में अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज के समय में यह दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है, जहां हर साल हज़ारों कैंसर मरीज़ों होता है।

कई महत्वपूर्ण कानूनों को लाने में योगदान

मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने मंदिरों से देवदासी प्रथा, बाल विवाह रोकथाम कानून और महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही विवाह के लिए लड़कियों की सहमति की उम्र को बढ़ाकर 14 करने वाले विधेयक को लेकर आई. उन्होंने कुप्रथाओं को लेकर कहा था कि इन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए।

देवदासी प्रथा के ख़िलाफ़ क़ानून

मुथुलक्ष्मी देवदासी प्रथा को ख़त्म करने के लिए क़ानून पास करवाने में अगुआ रहीं। उन्हें इस प्रक्रिया में भी कट्टर समूहों से विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस प्रस्ताव को मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश की। अंत मे ये विधेयक 1947 में आखिरकार क़ानून बन गया।

देवदासी प्रथा में युवा लड़कियों या महिलाओं को भगवान की शरण में दे दिया जाता है। मद्रास विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश करते हुए मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने कहा था, "देवदासी प्रथा सती का सबसे खराब रूप है और ये एक धार्मिक अपराध है।" उन पर एनी बेसेंट और महात्मा गांधी की विचारधारा का गहरा प्रभाव था।

तिरुच्चिराप्पल्ली में इतिहास विभाग की रिसर्च स्कॉलर एम एस स्नेहलता के रिसर्च पेपर "मुथुलक्ष्मी रेड्डी, ए सोशल रेवोल्यूशनरी" में लिखा है, "जब महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ़्तार किया गया तब मुथुलक्ष्मी ने मद्रास विधान परिषद की सदस्यता के इस्तीफ़ा दे दिया था। " उन्होंने देवदासियों की सुरक्षा के लिए 1931 में अपने घर अड्यार से अव्वई घर की शुरुआत की।

मार्च में एक अखबार में प्रकाशित रिर्पोट में कहा गया है कि देश की आखिरी देवदासी शशिमणि, जो कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुईं थीं, की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही, इस शर्मनाक प्रथा का अंत हो गया है। फ्रेंकोइस बर्नियर (1620-1688) एक फ्रांसीसी चिकित्सक व यात्री थे। मुगल भारत की यात्रा का उनका विवरण, उस समय के इतिहास के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है। वे शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र शहजादा दाराशिकोह के व्यक्तिगत चिकित्सक थे और दाराशिकोह की मौत के बाद, वे औरंगजेब के दरबार से लगभग एक दशक तक जुड़े रहे। उन्होंने पुरी की यात्रा की थी। बर्नियर के अनुसार, हर साल पुरी में रथयात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ का विवाह एक नई युवती से किया जाता था। विवाह की पहली रात, मंदिर का कोई एक पुजारी उसके साथ संभोग करता था। प्रख्यात लेखक दुबॉइस ने अपनी पुस्तक 'हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज़' में लिखा है कि प्रत्येक देवदासी को देवालय में नाचना-गाना पड़ता था। साथ ही, मंदिरों में आने वाले खास मेहमानों के साथ शयन करना पड़ता था। इसके बदले में उन्हें अनाज या धनराशि दी जाती थी। प्राय: देवदासियों की नियुक्ति मासिक अथवा वार्षिक वेतन पर की जाती थी। देवदासी प्रथा मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा में फली-फूली। देवदासी प्रथा यूं तो भारत में हजारों साल पुरानी है, पर वक्त के साथ इसका मूल रूप बदलता गया। कानूनी तौर पर रोक के बावजूद कई इलाकों में इसके जारी रहने की खबरें आती ही रहती हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक आदेश जारी कर इसे पूरी तरह रोकने को कहा है।

मार्च 1912 में बंगाल की विधान परिषद में छोटा नागपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकृष्ण सहाय ने "बच्चियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को समर्पित करने की प्रथा"का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "बड़े होने के बाद वे अनैतिक जीवन जीती हैं"। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह इस "अनैतिक प्रथा का उन्मूलन" करने के लिए हस्तक्षेप करे (बंगाल विधान परिषद की कार्यवाही खंड 34)। औपनिवेशिक सरकार ने अपनी नीति के अनुरूप, परिषद को बताया कि वह "हिंदू समाज द्वारा पुरी की व्यवस्था से जुड़ी बुराईयों का उन्मूलन करने के किसी भी संगठित प्रयास का अनुमोदन करेगी और उसे अपना समर्थन देगी।"

ब्रिटिश शासकों ने "धर्म से जुड़े मसलों में सुधार के लिए कोई स्वस्फूर्त प्रयास" करने से साफ इंकार कर दिया। "द न्यूयार्क ट्रिब्यून" के 8 अगस्त, 1853 के अंक में छपे अपने लेख में कार्ल मार्क्स ने भारत की ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि "वह ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वह उड़ीसा और बंगाल के मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और जगन्नाथ मंदिर में चलने वाले हत्या और वेश्यावृत्ति के व्यापार से धन कमाना चाहती है" (मार्क्स एंड एंजिल्स, सिलेक्टिड वक्र्स, खंड 1)। यह कोई झूठा आरोप नहीं था बल्कि तथ्यों पर आधारित झिड़की थी। इसके 74 साल बाद, सन् 1927 में, मोहनदास करमचंद गांधी ने यही बात कही: "मुझे यह कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश के कई मंदिर वेश्यालयों से अलग नहीं हैं" ('यंग इंडिया' 6 अक्टूबर 1927)। 'द हिंदू' अखबार ने 15 सितंबर 1927 को गांधीजी को उद्धृत करते हुए लिखा, " उनको देवदासियां कहकर हम धर्म के पवित्र नाम पर ईश्वर का अपमान करते हैं और अपनी इन बहनों का अपनी वासना पूर्ति के लिए उपयोग कर हम दोगुना अपराध करते है।"

मंदिरों में पल रही इन विकृतियों को उजागर करने वाले केवल कार्ल मार्क्स ही नहीं थे। 19वीं सदी में हुगली (अब पश्चिम बंगाल) के तारकेश्वर मंदिर के आसपास ढेर सारे वेश्यालय थे। इस अत्यंत समृद्ध तीर्थस्थल के महंत माधवचंद्र गिरी, अपने गुंडों का इस्तेमाल कर सीधी-साधी महिलाओं को अगवा करने, बहलाने-फुसलाने और उनकी खरीद-फरोख्त करने के लिए कुख्यात थे। "ये महिलाएं अपने परिवारों के पास वापस नहीं जा सकती थीं और उनके पास इसके सिवा और कोई रास्ता

नहीं बचता था कि वे तारकेश्वर के आसपास स्थित वेश्यालयों में अपना जीवन बिताएं। सन 1873 में अखबार, पुरी और तारकेश्वर मंदिरों के पंडों के कुत्सित कारनामों के विवरण से भरे रहते थे...तारकेश्वर, महिलाओं के गैरकानूनी व्यवसाय का केन्द्र था", तनिका सरकार, "हिंदू वाईफ, हिंदू नेशन : कम्युनिटी, रिलीजन एंड कल्चरल नेशनलिज्म" में लिखती हैं। सन् 1871 की जनगणना के अनुसार, हुगली जिले में असम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के सभी जिलों से ज्यादा संख्या में वेश्याएं थीं। केवल 24 परगना जिले में वेश्याओं की संख्या हुगली से ज्यादा थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के धनी जमींदार, पुरी आते रहते थे और उनके इरादे कतई पवित्र नहीं होते थे। कई जमींदार दो-तीन महिनों तक पुरी में रहते थे और उनकी यात्रा पर लाखों रूपये खर्च होते थे। इस खर्च की वसूली के लिए वे गैरकानूनी चुंगी या अबवाव (जैसे हतभरा महाप्रसाद व बारून्निस्नान) लगाते थे। ये बातें उड़ीसा के बालासोर जिले के कलेक्टर जॉन बीम्स ने बंगाल सरकार को 1871 में भेजी अपनी एक रिर्पोट में कही।

देवदासी कुप्रथा के विरुध कई किताबें लिखी जा चुकी हैं

देवदासियों के बारे में देश-विदेश के इतिहासकारों ने कई किताबें लिखी हैं। एनके. बसु की पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन इन इंडिया', एफए मार्गलीन की किताब 'वाइव्स ऑफ द किंग गॉड, रिचुअल्स ऑफ देवदासी', मोतीचंद्रा की 'स्टडीज इन द कल्ट ऑफ मदर गॉडेस इन एन्शियंट इंडिया', बीडी सात्सोकर की 'हिस्ट्री ऑफ देवदासी सिस्टम' में इस प्रथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। जेम्स जे फ्रेजर की किताब 'द गोल्डन बो' में भी इस प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा गया है।

आज भी प्रचलित है देवदासी प्रथा

हाल ही में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), मुंबई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS), बेंगलुरु द्वारा 'देवदासी प्रथा' पर दो नए अध्ययन किये गए। ये अध्ययन देवदासी प्रथा पर नकेल कसने हेतु विधायिका और प्रवर्तन एजेंसियों के उदासीन दृष्टिकोण की एक निष्ठुर तस्वीर पेश करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1982 (Karnataka Devadasis (Prohibition of Dedication) Act of 1982) के 36 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस कानून के संचालन हेतु नियमों को जारी करना बाकी है जो कहीं-न-कहीं इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है।
- देवी/देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करने की यह कुप्रथा न केवल कर्नाटक में बनी हुई है, बल्कि पड़ोसी राज्य गोवा में भी फैलती जा रही है।
- अध्ययन के अनुसार, मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर लड़कियाँ इस कुप्रथा के लिये सबसे आसान शिकार हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के अध्ययन की हिस्सा रहीं पाँच देवदासियों में से एक ऐसी ही किसी कमज़ोरी से पीड़ित पाई गई।
- NLSIU के शोधकर्त्ताओं ने पाया कि सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये पर स्थित समुदायों की लड़कियाँ इस कुप्रथा की शिकार बनती रहीं हैं जिसके बाद उन्हें देह व्यापार के दल-दल में झोंक दिया जाता है।
- TISS के शोधकर्त्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि देवदासी प्रथा को परिवार और उनके समुदाय से प्रथागत मंज़ूरी मिलती है।

यह प्रथा खत्म क्यों नहीं होती?

- व्यापक पैमाने पर इस कुप्रथा के अपनाए जाने और यौन हिंसा से इसके जुड़े होने संबंधी तमाम साक्ष्यों के बावजूद हालिया कानूनों जैसे कि-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015 में बच्चों के यौन शोषण के एक रूप में इस कुप्रथा का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।
- भारत के अनैतिक तस्करी रोकथाम कानून या व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 में भी देवदासियों को यौन उद्देश्यों हेतु तस्करी के शिकार के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।
- अध्ययन ने यह रेखांकित किया है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये आजीविका स्रोतों को बढ़ाने में राज्य की विफलता भी इस प्रथा की निरंतरता को बढ़ावा दे रही है।

देवदासी प्रथा के ख़िलाफ़ अधिनियम, कानून, प्रतिबंध, सुधार

- ब्रिटिश शासन के तहत, देवदासी प्रथा को शुरू में 1924 में अवैध बना दिया गया था। देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं।
- नीचे दी गई तालिका में कुछ सुधारों और कानूनों का उल्लेख किया गया है:

देवदासी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम	
अधिनियम	**प्रावधान**
कर्नाटक देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम 1982	अधिनियम के अनुसार, किसी भी लड़की को देवदासी के रूप में समर्पित करना अवैध और वर्जित है।
तमिलनाडु देवदासी (समर्पण की रोकथाम) अधिनियम 1947	तमिलनाडु अधिनियम स्वतंत्रता से पहले पारित किया गया था और तब से इसकी समीक्षा या संशोधन नहीं किया गया है। देवदासी के रूप में एक महिला की प्रतिबद्धता इस कानून के तहत अवैध और शून्य मानी जाती है, चाहे महिला ने अपनी सहमति दी हो या नहीं।
आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम 1988	यह अधिनियम देवदासी प्रथा को भी प्रतिबंधित करता है।
महाराष्ट्र देवदासी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 2005	इसमें कहा गया है कि देवदासी द्वारा किया गया कोई भी विवाह शून्य नहीं होगा, यह कि देवदासी के साथ पति के रूप में रहने वाले किसी भी पुरुष द्वारा उचित समय के लिए विवाह की धारणा को बढ़ाया जाएगा, और यह कि किसी भी संतान को वैध माना जाएगा। सभी संपत्ति अधिकार।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	यह अधिनियम केवल उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है जो समर्पण के कार्य के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। नतीजतन, अधिनियम कई स्थितियों पर लागू नहीं होगा जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की एक महिला या युवा लड़की को देवदासी के रूप में समर्पित किया जाता है क्योंकि अधिकांश समर्पण परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है जो स्वयं इन समूहों में से एक हैं।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860	आईपीसी की धारा 370 के अनुसार शोषण के उद्देश्य से लोगों की तस्करी करना भी अवैध है।
अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (आईटीपीए) 1956	ITPA वेश्यालय संचालित करना, 18 वर्ष से अधिक आयु के दौरान जानबूझकर वेश्यावृत्ति में संलग्न होना, और वेश्यावृत्ति के लिए किसी को प्राप्त करना, प्रेरित करना या ले जाना अवैध बनाता है। वेश्यावृत्ति की तस्करी के दोषी पाए जाने वालों को पहली बार सात साल की जेल की सजा और दूसरी बार जेल में उम्रकैद की सजा का सामना करना पड़ता है।
किशोर न्याय अधिनियम (जेजे) 2015	जेजे अधिनियम, 2015 देवदासी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कानूनी है क्योंकि अधिकांश लड़कियों को देवदासी प्रणाली में तब शामिल किया जाता है जब वे नाबालिग होती हैं और "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे" की श्रेणी में आती हैं।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ("पोस्को अधिनियम")	POCSO अधिनियम तब लागू होगा जब देवदासी लड़की नाबालिग थी जब अधिनियम द्वारा कवर किए गए अपराध किए गए थे।
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण	एक देवदासी महिला हमेशा घरेलू हिंसा के खिलाफ राहत और उपचार पाने की हकदार होती है।

सुधार निर्माण में प्रमुख व्यक्तित्व

सुधार करने वाले प्रमुख व्यक्ति देवदासी प्रथा से ही थे। प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किए गए कुछ सुधार नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी**: वह कानून के पीछे प्रेरक शक्ति थीं जिसने देवदासी प्रथा को समाप्त किया और महिलाओं की भारतीय न्यूनतम विवाह आयु बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1927 में महिला भारत संघ द्वारा मद्रास विधान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में पेश किया गया और उन्होंने 1930 में परिषद में देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए विधेयक पेश किया। उन्होंने महात्मा गांधी की कारावास के विरोध में 1930 में मद्रास विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया।
- **मुवलुर रामामिरथम अम्मल**: वह एक तमिल समाज सुधारक थे। चेन्नई प्रान्त में उन्होंने देवदासी प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया। चेन्नई देवदासी प्रथा उन्मूलन अधिनियम को देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए उनके नवाचार और चल रहे अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के परिणामस्वरूप पारित किया गया था। 1947 में अधिनियम द्वारा देवदासी प्रथा को समाप्त कर दिया गया।

भारत में अभी भी प्रचलित देवदासी प्रथा के कारण

- देवदासी प्रथा की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और यह अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।
- देवदासी प्रथा के प्रचलन पर विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव यह समझने में मुख्य बाधाओं में से एक है कि

यह कम क्यों नहीं हो रही है।

- 2011 में राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अनुमान के अनुसार, भारत में देवदासियों की संख्या 48,358 थी।
- हालाँकि, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत की गई संपर्क रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में लगभग 4,50,000 देवदासियाँ रहती हैं।

भारत में अभी भी प्रचलित देवदासी प्रथा के कुछ मुख्य कारण नीचे सूचीबद्ध हैं

- जाति का वर्चस्व: उच्च जाति के प्रभुत्व के वर्षों के कारण, यह प्रथा आम तौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के बीच बनी हुई है। प्रासंगिक जाति और वर्ग कारकों से प्रभावित परिवारों को लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए लड़की को समर्पित करना महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्धता में परिवार और पूरे देवदासी समुदाय की भागीदारी के कारण बाल विवाह जैसी देवदासी प्रथा को खत्म करना विशेष रूप से कठिन है।
- धर्म: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि वे अपनी बेटी को किसी देवता को समर्पित करते हैं तो परिवार धन्य हो जाते हैं क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं। यह प्रमुख कारणों में से एक है कि लोग अभी भी इस परंपरा का पालन क्यों करते हैं।
- कानूनों का खराब प्रवर्तन: देवदासी प्रथा को विनियमित करने वाले कानूनों को कथित तौर पर राज्य सरकारों द्वारा कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के पुनर्वास के लिए निर्धारित धनराशि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया है।
- गरीबी: अधिकांश देवदासियां आज निचले सामाजिक स्तरों से हैं। कुछ परिवार अपनी बेटियों की पेशकश को कठोर जाति व्यवस्था में आगे बढ़ने के तरीके के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि इससे उनकी सामाजिक स्थिति बढ़ेगी।
- पितृसत्ता: अभी तक प्रचलित देवदासी प्रथा के पीछे यह भी एक प्रमुख कारण है
- जागरूकता की कमी: कुछ लड़कियों और यहां तक कि उनके परिवारों को भी इस परंपरा के बारे में उचित जानकारी नहीं होती है और इसके परिणामस्वरूप वे भी देवदासी प्रथा का हिस्सा बन जाती हैं।

देवदासी प्रथा और चुनौतियां

देवदासी प्रथा के सामने कई चुनौतियाँ हैं। कुछ चुनौतियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक व्यवहार को बदलना: देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए जागरूकता प्रभावी होनी चाहिए और इसे उन्मूलन की दिशा में सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करना चाहिए।
- स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ: जिन लड़कियों को देवदासी प्रथा में धकेल दिया जाता है, वे एड्स जैसे विभिन्न यौन संचारित रोगों की चपेट में आ जाती हैं।
- अक्षम पुलिस की भूमिका: स्थानीय पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देखा गया है कि समुदाय के दबाव के कारण पुलिस देवदासी प्रथा के मामलों में स्वत: कार्रवाई करने में उपेक्षा करती है और उन मामलों को दर्ज नहीं करती है जो उनके पास लाए जाते हैं।
- समुदाय और समाज द्वारा प्रतिक्रिया: समाज देवदासी प्रथा को स्वीकार करता है और उसका जश्न मनाता है, जिसके कारण इन युवा लड़कियों का यौन शोषण हुआ। जो लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन समुदाय और समाज की प्रतिक्रिया की चिंता से पीछे हटते हैं।
- निवारक उपाय पर्याप्त नहीं हैं: अधिकारी देवदासी प्रणाली को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय पुरानी देवदासियों को लाभ पहुंचाने के लिए परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विभिन्न विभागों, एजेंसियों और पदाधिकारियों के बीच समन्वय का भी अभाव है।
- पीड़ितों से सहयोग की कमी: पीड़ितों से अपने माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट करवाना मुश्किल हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि शिकायत दर्ज होने पर भी पीड़ित पक्षद्रोही हो जाएगा।

निष्कर्ष:

दक्षिण भारत छठी शताब्दी की परंपरा को देवदासी प्रथा के रूप में जाना जाता है। इस परंपरा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के साथ-साथ प्रत्येक उस व्यक्ति को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, जो प्रतिष्ठित भारतीय समाज को उच्चतम ऊंचाइयों तक देखना चाहता है तथा साथ ही वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से इस प्रथा से प्रभावित हो रहा है, जैसे की देवदासियों के बच्चे जो शायद सबसे अधिक मात्रा में इस प्रथा का परिणाम झेल रहे हैं। मंदिर के पुजारी तथा अन्य कर्मचारी जो सब कुछ जानते हुए भी इस पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। इस प्रथा को रोकने तथा

समाप्त करने के लिए सभी को उचित पहल व प्रयास करने चाहिए। प्रस्तुत शोध लेख के माध्यम से मैं इस प्रथा का पूर्ण रूपेण विरोध करती हूं और आशा करती हूं कि समाज में विकसित इसको कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी अपने पूर्ण प्रयास करेंगे

संदर्भ

1. Doctor muthulakshmi Reddy:- Hindi Gunjan
2. Doctor muthulakshmi Reddy:- Hindi Kunj
3. Muthulakshmi Reddy:- Trailblazer in surgery and women's right -V. R. Devika
4. Lady doctors:- The Untold Stories of India's First Women in Medicine - Kavita Rao
5. Contribution of Dr. Muthulakshmi Reddy to women empowerment -A Historical Study (Research Gate) - Dr. S. Shanti, Dr. A.R.Shravana Kumar
6. w.w.w. amarujala.com
7. w.w.w. navbharattimes.com
8. w.w.w.Indiatimes.com
9. http//w.w.w. indiatoday.com